[प्रकाशन संख्या अ० क०   ]

बिहार विधान-सभा

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति

(1980-81)

का

अष्टम् प्रतिवेदन

पर

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले की पहाड़िया जाति (अनुसूचित जन-जाति) की समस्याओं से संबंधित

(सदन में दिनांक 17 सितम्बर 1986 को उपस्थापित)

बिहार विधान-सभा सचिवालय
(कल्याण समिति शाखा)
पटना

विषय-सूची

				पृष्ठ
1. समिति के सदस्यों की सूची		..	..	क-ख
2. प्राक्कथन ..	..	..	..	ग
3. कार्यान्वियन प्रतिवेदन	..	..	..	1—9
4. परिशिष्ट "क"—पहाड़िया जन-जाति की जनसंख्या			..	10-11

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति के सदस्यों की सूची:—

1. श्री टी० मुचि राय मुंडा, स० वि० स०—सभापति

सदस्यगण

2. श्री विश्वनाथ ऋषि, स० वि० स०।
3. श्री सकुनी चौधरी, स० वि० स०।
4. श्री हरि राम, स० वि० स०।
5. श्री देव कुमार शर्मा, स० वि० स०।
6. श्री दरायस नरीमन, वि० स०।
7. श्रीमती लता देवी माली, स० वि० स०।
8. श्रीमती ज्योति, स० वि० स०।
9. श्री सैयद गुलाम हुसैन, स० वि० स०।
10. श्री बच्चा चौबे; स० वि० स०।
11. श्री मांगन इन्सान, स० वि० स०।
12. श्री डेविड मूरमू, स० वि० स०।
13. श्री संजीव प्रसाद टोनी, स० वि० स०।
14. श्री अदनान खां, स० वि० स०।
15. श्री जी० एस० रामचन्द्र दास, स० वि० स०।
16. श्री पशुपति कुमार, स० वि० स०।
17. श्री हिंद केशरी यादव, स० वि० स०।
18. श्री अभयकांत प्रसाद, स० वि० स०।
19. श्री राम नाथ यादव, स० वि० स०।
20. श्री सुरेन्द्र सिंह, स० वि० स०।
21. श्री अब्दुल रज्जाक अंसारी, स० वि० प०।
22. श्री मंजय लाल, स० वि० प०।
23. श्री माई हार्लेन कुजूर, स० वि० प०।
24. श्री राजकिशोर प्रसाद, स० वि० प०।
25. श्री लाल बाबू लाल; स० वि० स०।
26. श्री राजदेव राम, स० वि० स०।
27. रिक्त।
28. रिक्त।

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण

1. श्री विश्वेश्वर नाथ मेहरोत्रा—सचिव ।
2. श्री चन्द्रशेखर शर्मा—संयुक्त सचिव ।
3. श्री जगदीश प्रसाद—उप-सचिव ।
4. श्री रामदेव प्र० यादव—अवर-सचिव ।
5. श्री भरत पूर्वे—प्रशासी पदाधिकारी ।
6. श्री जगदीश प्र० यादव—प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री सरयुग राम—प्र० को० सहायक ।
8. श्री शत्रुघ्न प्र० यादव—सहायक ।

प्राक्कथन

मैं, सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की हैसियत से पहाड़िया जन-जाति की समस्याओं से संबंधित इस समिति के अष्टम् प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर समिति द्वारा स्वीकृत कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 211 के अनुसरण में सदन के समक्ष उपस्थापित करता हूं।

समिति का अष्टम् प्रतिवेदन दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले में निवास करने वाली पहाड़िया जन-जाति की समस्याओं से संबंधित था जो पूर्वगामी समिति द्वारा 27 जुलाई 1981 को सदन में उपस्थापित किया गया था।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के निदेशानुसार समिति ने नये सिरे से पहाड़िया जन-जाति की समस्याओं एवं उनके निदान के साथ ही अष्टम् प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के कार्यावयन को भी प्रतिवेदित किया है। दिनांक 16 अगस्त, 1986 की बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया है।

समिति उन सदस्यों का आभारी है जिन्होंने तथ्यों को इक्कठा करने के उद्देश्य से दुर्गम पहाड़ी, बीहड़ों एवं वन प्रान्त की खाक छानी।

समिति संबंधित विभागीय प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापन करती है, जिन्होंने विचार-विमर्श के दौरान समिति को सहयोग दिया है।

समिति सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें और सहायता की सराहना करती है, जिनके अथक परिश्रम से प्रतिवेदन तैयार किया जा सका है।

पटना : दिनांक 16 अगस्त 1986

टी० मुचि राय मुंडा,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जन-जाति कल्याण समिति।

कार्यान्वियन प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के अष्टम् प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वियन से संबंधित है। उक्त प्रतिवेदन दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले में निवास करनेवाली पहाड़िया जन-जाति की समस्याओं से संबंधित था, जो पूर्वगामी समिति द्वारा 27 जुलाई, 1981 को सदन में उपस्थापित किया गया था। उपस्थापना के तुरत बाद ही संबंधित विभागों को इसकी अनुशंसाओं का कार्यान्वियन हेतु भेज दिया गया।

वर्त्तमान समिति का गठन मई, 1985 को किया गया। इस समिति की प्रथम बैठक में ही अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समिति का ध्यान पहाड़िया जन-जाति की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। समिति उनके निदेश और मार्गदर्शन के अनुसार पहाड़िया जाति की समस्याओं से संबंधित अष्टम् प्रतिवेदन पर अपना कार्य करना शुरू किया। समिति अपनी जांच के क्रम में कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से स्थानीय पदाधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। उनकी समस्याओं की सही जानकारी के लिए समिति की उप-समिति (2) में दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिलों का 19 सितम्बर से 24 सितम्बर 1985 तक स्थल निरीक्षण भी किया और पहाड़ों पर बस रहे पहाड़िया निवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछ-ताछ की तथा विभागों द्वारा उनके लिए किय गये कार्यों का निरीक्षण भी किया।

समिति अपने निरीक्षण के क्रम में पाया कि सरकार द्वारा उनकी योजनाओं पर अबतक जितनी राशि खर्च की गयी हैं उनके अनुपात में परिणाम नगण्य ही रहा है। यों तो संबंधित विभागों द्वारा विकास के कागजी आंकड़े बहुत प्रस्तुत किये गये हैं, पर वास्तविकता इसी से प्रमाणित होती है कि इतने प्रयत्न के बावजूद विगत दो दशकों में उनकी आबादी घटती गयी है। जहां 1960—70 के दशक में उनकी जनसंख्या में नौ हजार की कमी थी वहीं 1970—80 के दशक में भी लगभग छः हजार की कमी आयी है। समिति को कल्याण विभाग द्वारा दिये गये आंकड़े के अनुसार 1971 में उनकी आबादी 1,07,683 थी जो 1980 में 1,01,869 पर आ गयी। (परिशिष्ट-क)। यह कमी साहेबगंज और गोड्डा जिले में निवास करनेवाली सावाया पहाड़ियों में आयी है। कल्याण विभाग ने तो जनसंख्या घटने का कोई संतोषजनक कारण नहीं

नहीं बताया, बल्कि जनगणना विभाग द्वारा की गयी सुमारी को ही दोषपूर्ण कहा। लेकिन समिति ने महसूस किया है कि इनकी जनसंख्या घटने का मुख्य कारण उनका कुपोषण अशुद्ध पेयजल, यक्ष्मा, मलेरिया, कालाजार जैसी भयंकर बीमारियां ही हैं जिससे इनकी मृत्यु दर अधिक है। सावरिया पहाड़िया ही इन बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं।

इनकी समस्याओं के निदान के संबंध में अनुसूचित जाति/जन-जाति, कल्याण समिति द्वारा दिया गया अष्टम प्रतिवेदन (1980-81) के पांच वर्ष बीत गये फ़िर भी कुछेक विभागों को छोड़कर शेष संबंधित विभागों ने समिति की सिफारिशों पर विशेष ध्यान नहीं दिये हैं, जैसे:—

यातायात (परिवहन):—पहाड़िया समुदाय तक पहुंचकर उनकी मूलभूत समस्याओं को जानने और उसके निराकरण में आवागमन की अबतक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गयी है। यातायात के अभाव में विकास के कार्य नहीं हो पाये हैं। विभागीय कर्मचारियों को उनके तक सामानों को पहुंचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क के अभाव में वे भी अपनी उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक नहीं लाकर पहाड़ के नीचे महाजनों और दलालों के बीच सस्ते मूल्य पर बेचने के लिये मजबूर होते हैं। ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग ने अपना दायित्व निभाने में रुचि नहीं दिखलायी है। वन विभाग द्वारा कुछ कच्ची सड़कें बनाई गयी हैं, जो उनके अपने ही दायरे तक सीमित हैं। समिति महसूस करती है कि जब नेतरहाट, शिमला, नैनीताल, मंसूरी जैसे पहाड़ी शहरों में सड़के बन सकती हैं, तो पहाड़िया गांवों तक भी सम्पर्क सड़कें बनायी जा सकती हैं। एन० आर० इ० पी० के तहत आर० ई० ओ० द्वारा इस दिशा में विशेष कार्य किये जा सकते हैं, जो नहीं हुआ है।

पेयजल:—दूसरी इनकी मूलभूत समस्या शुद्ध पेयजल की है जिसके अभाव में इन्हें तरह-तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है और असमय में ही ये बड़ी संख्या में मौत के शिकार हो जाते हैं। इनकी आबादी घटने का सबसे बड़ा मुख्य कारण इन्हें झील-झरनों का गंदा पानी पी कर अपने को रोगग्रस्त बनाना है। पूर्व समिति की अनुशंसाओं में इस ओर विशेष ध्यान देने की ओर आगाह किया गया था, पर लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसकी सिफ़ारिशों पर अवहेलना की गयी है। डुमरडीह (गोड्डा) पहाड़िया गांव का एक ग्रामीण ने समिति को बतलाया कि उन्हें 3 कि० मी० से पीने का पानी लाना पड़ता है। पी० एच० ई० डी० के कार्यपालक अभियन्ता (गोड्डा) ने बतलाया कि पहाड़िया गांवों को "समस्याग्रस्त गांवों" की कोटि से दूर रखा गया है जिस कारण हमारा विभाग इनके लिए पेयजल की समस्या की व्यवस्था नहीं कर पाता है। समिति को स्थल निरीक्षण के दौरान कहीं भी पेयजल का कारगर इन्तजाम देखने को नहीं

मिला। दुमका आदि कई जगहों में तो इस विभाग के किसी पदाधिकारी ने समिति को सहयोग करने तक नहीं आये। इधर युनिसेफ़ की सहायता से कुछ कुएं बनवाये जा रहे हैं। समिति एक बार पुनः उनके पेयजल की समुचित व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। इस दिशा में पहाड़ी झरनों को बांध बनाकर उनके पानी को शुद्ध किया जाय। समतल पहाड़ों पर ड्रिलींग कूप बनवाये जायें, चापाकल की व्यवस्था की जाय तथा गर्मी के दिनों में या जब भी पानी का अभाव हो तो नीचे से टैंकर से पहाड़ों पर पानी चढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। परीक्षण के आधार पर और जो भी सुलभ साधन से संभव हो सके, पेयजल की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए। उपर्युक्त तीनों जिलों के समस्त पहाड़िया गांवों को "समस्याग्रस्त गांव" की श्रेणी में लाकर लोक-स्वा० अभियंत्रण विभाग द्वारा उनके पेयजल पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

स्वास्थ्य--पहाड़िया की आबादी घटने का मुख्य कारण कुपोषण और गंदा पानी का पेयजल के रूप में व्यवहार करना है। इससे ये जातियां, डिसेंटरी, डायरिया, काला ज्वर, घेंघा, कुष्ठ, मलेरिया, यक्ष्मा, आदि बिमारियों से आक्रांत होते रहते हैं। पूर्वगामी समिति ने अपने प्रतिवेदन में उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए पांच सिफ़ारिशें की थी लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अकर्मण्यता के कारण पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद एक भी सिफ़ारिश का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। यक्ष्मा, कुष्ठ, मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की पकड़ हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण कराकर निरोधात्मक उपाय किये जाने तथा शिक्षित पहाड़िया युवकों को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें आम बीमारियों के लिए पेटेन्ट दवा वितरित करने की सिफ़ारिश समिति द्वारा की गई थी लेकिन समिति ने पाया कि इस दिशा में विभाग द्वारा कोई कारंवाई नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग में पदाधिकारी ने समिति को बतलाया कि सरकार चलन्त अस्पताल और चलन्त एक्सरे मशीन की व्यवस्था करने जा रही है लेकिन यह व्यवस्था कबतक कर दी जायगी यह विभाग की इच्छा पर निर्भर करती है। पहाड़िया इलाकों में आयुर्वेदिक के साथ-साथ एलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र उप-केन्द्र की भी काफ़ी आवश्यकता है। समिति ने अपने स्थल अध्ययन के दौरान स्थानीय पहाड़िया नागरिकों से मिलकर जब स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी प्राप्त की तो उनलोगों ने विलखते हुए कहा कि कोई भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता हमलोग के पास नहीं आता है और जब वे लोग अस्पताल में किसी तरह जाते भी हैं तो वहां कोई चिकित्सक मौजूद नहीं रहते हैं। समिति को पहाड़ी गांवों, के तीन-चार ऐसे रोगी देखने को मिले जो महीनों से उपचार के अभाव में मृत्यु से लड़ रहे थे। समिति के साथ स्थानीय चिकित्सक ने उन्हें देखकर टी०बी० और मलेरिया का रोगी बतलाया और दूसरे दिन उन्हें अस्पताल में भर्त्ती करवाने का आश्वासन दिया। समिति ऐसा महसूस करती है कि स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सक केन्द्रों में नहीं रहते हैं और अपना आवास, प्रखंड, सब-डिविजन और जिला के मुख्यालयों में रखते हैं और

कभी-कभी खानापुरी करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में जाते हैं। अत: स्वास्थ्य विभाग और कल्याण विभाग को इस ओर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। समिति को जानकारी मिली है कि गोड्डा के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डा0 राम गोविन्द सिंह वहां दस वर्षों से पदस्थापित हैं जो चिकित्सा के बदले ठीकेदारों के कार्य में लिप्त रहते हैं।

पहाड़िया क्षेत्रों में ज्यादातर आयुर्वेदिक औषधालय ही हैं, जिनकी औषधि में मिलावट की जानकारी समिति को मिली है। संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवघर के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर डालमिया ने समिति को बतलाया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के निदेशक द्वारा आयुर्वेदिक दवा की लेबोरेटरी में जांच की गई तो उसमें राख-छाई की मिलावट पायी गयी।

पहाड़िया जाति के बच्चें, कुपोषण के कारण ही ज्यादातर मत्यु के शिकार होते हैं। अत: इसके निदान के लिए कल्याण विभाग को चाहिए कि दुमका, गोड्डा, साहेबगंज पहाड़िया बाहुल्य सभी प्रखंडों को आंगनवाड़ी योजना से जोड़कर इन केन्द्रों द्वारा भरपूर पौष्टिक आहार वितरित किये जाय तथा इन्हीं केन्द्रों द्वारा दवाओं का वितरण भी किया जाय और समय-समय पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और उनके चिकित्सकों को केन्द्रों में रहने के लिए आवास की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिए भवन की एवं रोगियों के लिए शय्या की व्यवस्था होना चाहिए।

समिति को जानकारी मिली है कि कुरीति और अंधविश्वास के कारण इस जन-जाति के लोग भूत-प्रेत के भ्रम में ओझा के झाड़-फूंक में विश्वास रखते हैं। अत: इसके निराकरण के लिए स्वास्थ्य गाइड और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के माध्यम से उन्हें इलाज के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से बीमारियों का सर्वेक्षण कराकर उसके उन्मूलन के लिए चलन्त अस्पताल और एक्सरे की व्यवस्था की जानी चाहिए। देवघर की तरह ही दुमका, गोड्डा और साहेबगंज के लिए भी एक-एक कुष्ठ अस्पताल की व्यवस्था की जाय। चान्दन प्रखंड (गोड्डा) में पहाड़ी के ऊपर स्वास्थ्य उप-केन्द्र और रेफ़रल अस्पताल खोले जायें ताकि वहां की बहुतायत जन-जाति पहाड़िया को इलाज में सुविधा हो सके। शिक्षित पहाड़िया युवक-युवतियों को प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देकर उनके पास भी समय-कसमय के लिए कुछ पेटेंट दवा वितरित की जाय। झील-झरने, कुएं आदि के उपयोगी तल को पोटाश एवं अन्य कीटनाशक दवाओं द्वारा हमेशा साफ़ रखा जाय।

शिक्षा—शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किये गये हैं, फ़िर भी इसका फ़लाफल संतोषजनक नहीं है। स्थल निरीक्षण के क्रम में कई विद्यालयों के प्राधानाध्यापकों से सम्पर्क कर समिति ने इनके बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। समिति को जानकारी दी गई कि परम्परा और कुरीति के कारण इनके पर्व-त्योहार बहुत होते हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल से ज्यादातर अनुपस्थित रहते हैं। इसके निदान के लिए बच्चों को आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कुसंसकारिक प्रभावों से छुटकारा दिलाया जा सके। इस ओर शिक्षक-शिक्षिकाओं को अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे लगभग 70 प्रतिशत विद्यालयों/छात्रावासों के अपना भवन नहीं है या टूट पड़े हैं। अतः वैसे भवनों के निर्माण और मरम्मत की नितांत आवश्यकता है। इस कार्य को आदिवासी सहकारिता विकास निगम को भी परियोजना निर्माण कार्य के तहत आगे बढ़कर करना चाहिए। कल्याण विभाग द्वारा स्कूलों में पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जरूरत है। स्कूलों में पेयजल, शौचालय, दवा, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। बहुत से प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय तथा उच्च वि० में परिणत किये गये हैं, फ़िर भी इन विद्यालयों में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था बिल्कूल नहीं है। स्कूलों में समाचार-पत्रों, मैगजिन और दूरदर्शन की व्यवस्था कर वैज्ञानिक प्रगतिकी जानकारी दी जानी चाहिए। दामिन रहित क्षेत्रों में भी पहाड़िया विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। बोआरीजोर प्रखंड (गोड्डा) में एक आवासीय बालिका विद्यालय की आवश्यकता समिति ने महसूस की है। समिति को बतलाया गया कि यहां विद्यालय चलाने के लिए पक्का मकान उपलब्ध है। धमनी आवासीय उच्च विद्यालय तथा बोरियां (साहेबगंज) बालिका विद्यालय के लिए छात्रावास भवन का निर्माण कराये जाये।

छात्र-छात्राओं को दी जानेवाली छात्रवृत्ति समय पर दिये जायें। समिति की शिकायत मिली है कि समय पर न तो फ़ार्म भरे जाते हैं और न इनका नवीनीकरण ही समय पर किया जाता है। कहीं-कहीं छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता की भी शिकायत मिली है। इस तरह के भ्रष्टाचार पर कल्याण विभाग तथा उपायुक्त को विशेष निगरानी रखनी चाहिए। छात्रवृत्ति की सूची प्रखंड के साथ-साथ संबंधित प्रधानाध्यापक को भी भेजी जानी चाहिए। बच्चों को दी जानेवाली अल्पाहार की राशि को बढ़ाकर प्रतिदिन 2 रुपये तथा मासिक चिकित्सा राशि 50 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपये करने की आवश्यकता है। छात्रों को स्कूल ड्रेस की आपूर्त्ति पर भी निगरानी रही जानी चाहिए। कल्याण विभाग अपनी देख-रेख में ग्राम तथा सभा के माध्यम से रात्रि पाठशाला, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करे। इनके विद्यालयों में खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा की भी व्यवस्था तुरत शुरू किये जायं।

इनके लिए एक अलग प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल खोला जाय। ताकि मैट्रिक स्तर के शिक्षित युवकों को प्रशिक्षितकर इनकी स्थानीय भाषा के शिक्षक तैयार कराये जा सके। प्रारंभ से ही व्यवसायिक एवं तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। लड़कियों को विशेष सुविधा देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूली बच्चों को समय-समय पर सर्वेक्षण कराकर निरोधात्मक टीके लगवाये जाय।

आवासीय विद्यालयों में कमरे की संख्या बढ़ायी जाय तथा छात्र-छात्राओं के लिए चौकी और दरी की व्यवस्था की जाय।

कृषि––पहाड़िया जन-जाति का मुख्य धंधा कृषि और मजदूरी है। कुछ पहाड़ियों को अपनी जमीन है पर पहाड़ी एवं बंजर भूमि के कारण सिर्फ़ दो माह के लिए ही भोजन कृषि से प्राप्त हो पाता है। इनकी ज्यादातर जमीन महाजनों के हाथ में चली गयी है जिसकी वापसी के लिए कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को आगे आकर काम करना चाहिए। बंजर एवं पहाड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्षा की पानी को पहाड़ों पर रोककर सिंचाई की काम में लाया जा सकता है। स्थल निरीक्षण के क्रम में दुमका जिले में पहाड़िया के लिए कृषि हेतु कोई सहायता देखने को नहीं मिली। इन्हें समय पर बैल, खाद, बीज और खेती के उपकरण उपलब्ध कराये जायें। महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए ऋण की भरपूर व्यवस्था की जानी चाहिए। आदिवासी सह-कारिता विकास निगम पहाड़िया की सहायता करने में सौ फी सदी पीछे रही है। इनकी कोई भी शाखा उक्त क्षेत्रों में कार्यरत नहीं है। अतः इस संस्था को इनके विकास में भरपूर मदद करनी चाहिए। ग्राम सभा भी इस दिशा में इनकी मदद कर सकती है। कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के कर्म-चारियों को इनके सम्पर्क में जाकर इनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए और इन्हें उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। समिति को मालूम हुआ कि इनके भी० एल० डब्लू० जैसे कर्मचारी भी इनसे सम्पर्क करने की आव-श्यकता महसूस नहीं करते। गैर आबाद, बिहार सरकार की जमीन को उनके नाम बंदोबस्त की जानी चाहिए। बागवानी और फ़ल-सब्जी की खेती पर कृषि विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। वे नकदी फ़सलें हैं और इससे उन्हें अच्छे पैसे प्राप्त हो सकते हैं। पहाड़ी जमीन पर बरसाती, टमाटर, मूली, गोभी, आलू, तथा अन्य सम्भावित किस्म के फ़ल, सब्जियों को उपजाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ग्राम सभा और लैम्पस के माध्यम से इसे बेचने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। फ़रवरी की फ़सल इस इलाके में अच्छी होती है। अतः इसे वैज्ञानिक ढंग से प्रोत्साहित कर लैम्पस तथा सहकारिता विकास निगम के माध्यम से इसकी बिक्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। सबई घास बिना लागत की नैचुरल ग्रोथ है जो इनकी आय का अच्छा स्रोत भी है। लेकिन समिति को जानकारी दी गई है कि इसकी खेती को अनुपयोगी बताकर वन विभाग द्वारा छोड़

दिया गया है। पहाड़ियों की सबई घास की रोयालटी से अच्छे पैसे मिल जाते थे और रस्सी जैसे घरलू उद्योग भी चलाये जाते थे। सरकार के कल्याण विभाग को इसकी सम्भावनाओं पर पुन: विचार करना चाहिए। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग कल्याण विभाग, आदिवासी सहकारिता विकास निगम, ग्राम-सभा जैसी संस्थायें एकजूट होकर इनकी आर्थिक स्थिति बदलने में सहायक हो सकती हैं। बैंक और सहकारिता जैसे वित्तीय संस्थान भी उक्त क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं कर पाये हैं। बैंकों द्वारा इनके शोषण की शिकायत भी समिति को मिली है।

नियोजना।—शिक्षित/अशिक्षित दोनों प्रकार के युवक-युवतियों को नियोजन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। समिति को यह जानकर आश्चर्य और दु:ख हुआ है कि शिक्षित पहाड़ियों में दो एम० ए०, एक बी० एड०, 13 बी० ए०, एक बी० एस-सी०, 62 मैट्रिक तथा 102 मिडिल पास बेरोजगार पड़े हुए हैं। समिति इनके नियोजन हेतु पुरजोर सिफारिश करती है कि संबंधित जिलों के उपायुक्त, विशिष्ट पहाड़िया कल्याण पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, आरक्षी विभाग और वन विभाग के पदाधिकारी इनके नियोजन की विशेष व्यवस्था करें। शिक्षित पहाड़ियों को तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। इनके लिए अलग से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलकर पहाड़िया शिक्षक तैयार किये जायं। कम पढ़े-लिखे और मिडिल पास युवकों को वन विभाग और आरक्षी विभाग में नियुक्त किये जायं। उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को जिला कल्याण विभाग के कार्यालयों, उपायुक्त के कार्यालयों और विशिष्ट पहाड़िया कल्याण पदाधिकारी के अधीनस्थ नियोजन देने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय। अशिक्षितों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं में नियोजन दिये जाय। पहाड़िया अल्पसंख्यक जन-जाति समुदाय में आते है अत: आदिवासियों के लिए आरक्षित कोटा के अतिरिक्त इनके नियोजन में सबसे आगे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ई०सी०एल० (इस्टर्न कोल लिमिटेड) जैसे कोलियरी संस्थाओं में अशिक्षित युवक-युवतियों को नियोजन दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट पहाड़िया कल्याण पदाधिकारी को गांव-गांव में पता लगाकर रोजगार चाहने वाले शिक्षित/अशिक्षित पहाड़ियों को नियोजन की व्यवस्था की विशेष जिम्मेवारी लेनी होगी क्योंकि शर्मीन्दे स्वभाव और जानकारी के अभाव में ये नियोजन कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

आवास एवं आर्थिक विकास:—पहाड़िया की तीन श्रेणियों में सावरिया पहाड़िया, की स्थिति सबसे दयनीय है। इनकी आबादी में ही विशेष कमी आयी है। ये साहेबगंज और गोड्डा जिलों में क्रमश: 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के अनुपात में है। सावरिया पहाड़िया ज्यादातर पहाड़ के उपर ही रहते हैं जो विभिन्न तरह के कन्द-मूल, पेड़ की पतियां उबालकर खाते हैं और गंदे जलाशय का

पानी पीकर रोगग्रस्त हो जाते है। पौष्टिक आहार इन्हें मिल नहीं पाता है। ये अभी आदिम युग में जी रहे है। अतः इनकी प्रवृति और बुनियादी आवश्यकताओं में परिवर्त्तन लाकर ही इनका आर्थिक विकास संभव हो सकता है।

आज से पांच वर्ष पूर्व अष्टम प्रतिवेदन में ही समिति ने इन्हें पहाड़ के नीचे पहाड़िया कॉलनी में बसाने की अनुशंसा की थी, लेकिन राजस्व विभाग की अकर्मणयता के चलते आज तक उनको आवास भूमि और कृषि योग्य भूमि की बन्दोवस्ती नहीं की गई है। अतः सरकार योजनावद्ध तरीके से पहाड़ के नीचे समतल में इनकी आवास भूमि और कम से कम पांच एकड़ प्रति परिवार कृषि योग्य भूमि बन्दोवस्त कर आवासीय कॉलनी का निर्माण करायें। खाद, बीज, बैल, कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर सिंचाई की व्यवस्था करें। स्थानीय महाजनों और वन विभाग के अधिकारियों, वन रक्षकों पर सरकार कड़ी नजर रखें क्योंकि ये तत्व उन्हें प्रताड़ित करके पुनः पहाड़ों पर भाग जाने के लिए वाध्य करते हैं। पूर्व की कॉलनी को छोड़कर पहाड़ों पर भागने का यही मुख्य कारण रहा है। यहां उन्हें जीविका के अन्य साधन उपलब्ध कराये जायं और उनके साथ आत्मीयता का बोध कराकर सस्कारिक प्रवृति में परिवर्त्तन लाया जाय। इस काम में समय लग सकता है, इसे धैर्यां से करने की जरूरत है, पर असाध्य नहीं है। कॉलनी के अन्दर ही इन्हें सस्ते दर पर अनाज एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करायी जायं। इनके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र और आदिवासी सहकारिता विकास निगम के माध्यम से स्थानीय वन से प्राप्त वस्तुओं के क्रय-विक्रय की व्यवस्था की जाय। पहाड़िया जन जाति की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मोमवती, गुड़िया प्रशिक्षण, मिट्टी की मूर्त्तियां, कागज के माला, वरखटी से बने सामान, आम के अचार, साबुन, ताड़-गुड़, सबई घास की रस्सी, पत्ते से कप-प्लेट बनाने का प्रशिक्षण देकर कुटीर एवं गृह उद्योग चलाने की आवश्यकता है। कुछ केन्द्रों में इस तरह के प्रशिक्षण से इनकी मौलिक हालत सुधारी जा सकी है। इस दिशा में उक्त क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर कार्य भी किये जा रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं।

दुमका जिले की तरह ही गोड्डा और साहेबगंज जिलों में दरी बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं। इन केन्द्रों में नियमित सूतकी आपूर्त्ति की जाय। स्थानीय वनों से प्राप्त वस्तुओं और कृषि उत्पादित वस्तुओं की खरीदगी आदिवासी विकास निगम के माध्यम से की जानी चाहिए। जगह-जगह पर लकड़ियों की खरीदगी के लिए वन विभाग द्वारा डिपो खोले जायं। पहाड़िया कल्याण द्वारा चलायी जा रही ग्राम सभा भी इस दिशा में सहायता कर रही है। पहाड़िया कल्याण के अन्दर ग्राम सभा द्वारा जगह-जगह पर ग्रेन गोले खोले गये हैं जो जरूरतमंद पहाड़िया को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराती हैं। इन्हें ऋण की भी व्यवस्था करती है। अतः इस तरह के सभी पहाड़िया ग्रामों में ग्राम सभा का गठन कर इनका वित्तीय पोषण करें।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा परिसम्पति के रूप में स्वस्थ्य गाय, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, आदि उपलब्ध कराकर पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाय। आर्थिक दशा सुधारने में यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस योजना की सफलता हेतु ब्लौक तथा बैंक के अधिकारियों पर जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जाय।

ट्रायसम योजना के तहत बुनाई, सिलाई, कताई, गुड़िया निर्माण, चटाई निर्माण, घड़ीसाजी, बांस, बेंत और पलास्टिक की वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण देकर स्वनियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

दुमका जिले के गोपीकान्दर के रास्ते में आमतौल नामक पहाड़िया गांव को पहाड़िया कल्याण योजना में सम्मिलित किया जाय क्योंकि यह अभी तक उपेक्षित है।

गोड्डा, साहेबगंज, दुमका जिलों के लिए अलग-अलग कल्याण पदाधिकारी पदस्थापित किये जायं। ऐसा समिति महसूस करती है।

समिति की अनुशंसायें

उपर्युक्त सारे तथ्यों के आलोक में समिति निम्नलिखित अनुशंसा करती है :—

(1) 1980-81 के अष्टम प्रतिवेदन की प्रत्येक अनुशंसा को कंडिकावार संबंधित विभाग कार्यान्वित करें और इसमें उदासीनता बरतने वाले विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करें।

(2) प्रस्तुत कार्यान्वियन प्रतिवेदन 1986 में उल्लिखित सुझावों को संबंधित विभाग कार्यान्वित करें।

(3) कल्याण विभाग सभी विभागों के धुरी (केन्द्र) है और पहाड़िया कल्याण योजना इस विभाग के विशेष योजना के अन्तर्गत है। अतः कल्याण विभाग का विशेष दायित्व है कि वह संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समिति के अनुशंसाओं को कार्यान्वित करायें।

टी० मुचि राय मुंडा,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति
कल्याण समिति।

परिशिष्ट 'क'

पहाड़िया आदिम जाति की जनसंख्या

वर्ष 1980 में पहाड़िया पर्यवेक्षक द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार।

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	जनसंख्या	अभ्युक्ति
दुमका ..	दुमका	2,666	माल पहाड़िया
	काठिकुण्ड ..	3,396	
	गोपी कान्दर ..	4,075	
	शिकारीपाड़ा ..	2,782	
	रामगढ़	3,368	
	जामा ..	1,853	
	मसलिया	2,300	
	रानेश्वर ..	2,336	
	जरमूंडी	1,607	
	सरैयाहाट ..	168	
	जामतारा ..	637	
	कुण्डहित ..	1,221	
	नाला ..	326	
		27,058	
साहेबगंज ..	बोरिया	9,466	सांवरिया पहाड़िया
	तालझारी ..	6,494	
	बरहेट	6,411	
	पतना	4,732	
	राजमहल ..	179	
	पाकुड़	14,115	
	अमड़ा पाड़ा ..	6,971	
	हिरणपुर	1,859	
	महेशपुर ..	2,963	
	पाकुड़िया ..	880	माल पहाड़िया
		54,070	

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	जनसंख्या	अभ्युक्ति
गोड्डा ..	सुन्दरपहाड़ी ..	12,310	सांवरिया पहाड़िया
	बोआरी जोर ..	7,092	
	पोडयाहाट ..	894	
		20,296	
देवघर ..	सारवी	127	माल पहाड़िया
	महोनपुर ..	551	
	पालाजोरी ..	647	
		1,325	
जिलावार जन संख्या—			
	1. दुमका ..	27,058	माल पहाड़िया
	2. देवघर ..	1,325	
	3. साहेबगंज ..	54,070	
	4. साहेबगंज ..	50,227	सांवरिया पहाड़िया
	5. गोड्डा ..	20,296	
	कुल ..	1,01,869	

पाकुड़िया प्रखंड का सर्वेक्षण जारी है। समाप्त होते ही प्रतिवेदन समर्पित होगा।

पाकुड़िया पर्यवेक्षक श्री किशोर प्रसाद ने स्मारों के बाद भी आंकड़े अभीतक समर्पित नहीं किया है इसका पूर्व आकड़ा 880 है।

(ह०) अस्पष्ट,
विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, दुमका।

ज्ञापांक 303।प० क०

दुमका, दिनांक 9 जून, 1986।

प्रतिलिपि आदिवासी कल्याण आयुक्त, 77, सरकुलर रोड, रांची / संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त कल्याण आयुक्त, रांची / निदेशक, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित उनके ज्ञापांक 616, दिनांक 6 जून 1986 के अनुपालन में।

(ह०) अस्पष्ट,
वशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण,
दुमका।

वि० स० मु०(एल० ए०)104—मोनो—600—12-9-1986—रा० ज० लाल।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1986